अनुदान संख्या 28 – विदेश मंत्रालय
GRANT No. 28 - MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*			*3,00*	..	*-3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*3,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	12648,26,00				
				12648,27,00	12379,28,85	-268,98,15
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					259,76,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2150,26,00				
				2150,28,00	1370,44,23	-779,83,77
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					849,59,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹3.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया था।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹3.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	42358.00	42624.00	41460.80	-1163.20
पु.	R.	266.00			
मुख्य शीर्ष "2061"	Major Head "2061"				
विदेश मामले	External Affairs				
मू.	O.	713090.00	772994.00	761592.61	-11401.39
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	59903.00			
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"				
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	509377.00	423232.00	434875.44	+11643.44
पु.	R.	- 86145.00			

(I) ₹15187.25 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से ₹15120.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹15187.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in December, 2017) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹15120.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2061" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – विदेशी भारतीय केंद्र" – ₹120.00 लाख – योजनाबद्ध कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण।

(A) Major Head "2061" - "International Co-operation - Overseas Indian Centres" - ₹120.00 lakhs - due to non-materialisation of planned activities.

(खा) मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग – चाहबहार पत्तन" – ₹15000.00 लाख – संविदा चालू करने

(B) Major Head "3605" - "Co-operation with Other Countries - Chahbahar Port" - ₹15000.00 lakhs -

के मुद्दों के कारण उपकरणों की अधिप्राप्ति में विलंब होने तथा यूरोपीय विक्रेताओं द्वारा कम भागीदारी किए जाने के कारण।

due to delay in procurement of equipment owing to contract activation issues and poor participation by European vendors.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – विदेश मंत्रालय" – के अंतर्गत ₹1260.61 लाख की बचत (₹40875.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मार्शल आईलैंड मामले के संबंध में बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of External Affairs"- saving of ₹1260.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40875.00 lakhs) was due to non-receipt of bills in respect of Marshall Island case.

(III) मुख्य शीर्ष "2061" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:

(III) Under Major Head "2061" - savings occurred under the following heads:-

(का) "दूतावास तथा मिशन – प्रबंधन और स्थापना" – ₹5928.42 लाख की बचत (₹252855.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजनाबद्ध कार्यकलापों के लिए निधियों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Embassies and Missions - Management and Establishment" - saving of ₹5928.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹252855.00 lakhs) was due to non-materialisation of planned activities.

(खा) "मनोरंजन प्रभार – उच्च पदाधिकारियों का मनोरंजन" – ₹2039.00 लाख की बचत (₹7050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आने वाले वीवीआईपी शिष्ट मंडलों के कम संख्या में होने के कारण कम निधियों की आवश्यकता की वजह से हुई।

(B) "Entertainment Charges - Entertainment of Dignitaries" - saving of ₹2039.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7050.00 lakhs) was due to requirement of less funds owing to less number of incoming VVIP delegations.

(गा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" –

(C) "International Cooperation"-

(क) "राष्ट्रमंडल" – ₹244.52 लाख की बचत (₹1130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम अंशदान जारी किए जाने के कारण हुई।

(a) "Commonwealth" - saving of ₹244.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1130.00 lakhs) was due to release of less contribution.

(ख) "सार्क सचिवालय को अंशदान" – ₹296.42 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत के सार्क क्षेत्रीय केंद्रों को अंशदान में से पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(b) "Contribution to SAARC Secretariat" - saving of ₹296.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years towards India's contributions for SAARC Regional Centers.

(ग) "नालंदा अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालय" – ₹5000.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण परियोजना की

(c) "Nalanda International University" - saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to

निविदा प्रक्रिया पूरा न होने तथा कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(घ) "बिम्सटेक सचिवालय" – ₹199.26 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयुष छात्रवृत्ति 2017–18 के बीजक/दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने तथा बौद्ध विरासत के बोधि पर्व उत्सव के कारण हुई।

(घा) "अन्य व्यय" –

(क) "सीमाओं का सीमांकन" – ₹166.92 लाख की बचत (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में बैठक आयोजित किए जाने तथा कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(ख) "अन्य देशों में धार्मिक यात्रा से संबंधित व्यय" – ₹283.93 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एक मार्ग बंद के जाने के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) "संस्थाओं को अनुदान" – ₹210.67 लाख की बचत (₹397.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र एसोसिएशन के भारतीय परिसंघ की सदस्यता शुल्क को संयुक्त राष्ट्र एसोसिएशन के विश्व परिसंघ को रिलीज न किए जाने के कारण हुई।

(घ) "विशेष कार्यक्रम" – ₹791.82 लाख की बचत (₹3428.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ङ) "भारतीय विश्व मामले परिषद" – ₹443.72 लाख की बचत (₹1466.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

non-completion of tendering process of construction project and slow pace of progress.

(d) "BIMSTEC Secretariat" - saving of ₹199.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non-submission of invoices/ documents of Ayush Scholarship 2017-18 and Bodhi Parva festival of Buddhist Heritage.

(D) "Other Expenditure" -

(a) "Demarcation of Boundaries" - saving of ₹166.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was due to holding of less number of meeting and slow progress of work.

(b) "Expenditure relating to Other Pilgrimage Abroad" - saving of ₹283.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Kailash Mansarovar Yatra owing to closing of one of the routes.

(c) "Grants to Institutions" - saving of ₹210.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹397.00 lakhs) was due to non-release of membership fees of Indian Federation of United Nations Association (IFUNA) to World Federation of United Nations Associations (WFUNA).

(d) "Special Programmes" - saving of ₹791.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3428.00 lakhs);

(e) "Indian Council of World Affairs" - saving of ₹443.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1466.00 lakhs); and

(च) "मिशनों के विशेष कार्यकलाप" – ₹428.93 लाख की बचत (₹3601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यकलापों/कार्यक्रमों की संख्या में कमी किए जाने के कारण हुई।

(छ) "उच्च स्तरीय शिष्टमंडल" – ₹2282.36 लाख की बचत (₹18200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एयर इंडिया से बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं–

(का) "कोलंबो योजना के तहत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता" – ₹349.47 लाख की बचत (₹960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोलबों योजना के तहत आवंटित स्लॉटों के कम इस्तेमाल के कारण हुई।

(खा) "बांग्लादेश को सहायता" – ₹4697.57 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजना की वास्तविक प्रगति के आधार पर आवंटन खर्च करने में विलंब होने तथा बांग्लादेश सरकार द्वारा कुछ परियोजनाओं के लिए तौर–तरीकों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई।

(गा) "भूटान को सहायता" – ₹29440.37 लाख की बचत (₹208387.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भू–विज्ञानी चुनौतियां जारी रहने के कारण चालू जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी गति के कारण हुई।

(घा) "श्रीलंका – अन्य सहायता कार्यक्रम" – ₹4711.39 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ड.) "म्यांमार को सहायता" – ₹144.70 लाख की बचत (₹22500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) हुई।

(f) "Special Activities of Missions" - saving of ₹428.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3601.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to decrease in the number of activities/ programmes.

(g) "High Level Delegations" - saving of ₹2282.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18200.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from Air India.

(IV) Under Major Head "3605" - "Co-operation with Other Countries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Technical Aid to South and South East Asia under Colombo Plan" - saving of ₹349.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹960.00 lakhs) was due to low utilization of allocated slots under the Colombo Plan.

(B) "Aid to Bangladesh" - saving of ₹4697.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs) was due to delay in spending assignments based on physical progress of ongoing projects and late finalization of modalities for some projects by the Government of Bangladesh.

(C) "Aid to Bhutan" - saving of ₹29440.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹208387.00 lakhs) was due to slowdown in the implementation of the on-going hydroelectric projects owing to continuing geological challenges.

(D) "Sri Lanka - Other Aid Programmes"- saving of ₹4711.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs); and

(E) "Aid to Myanmar" - saving of ₹144.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22500.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुईं।

(चा) "आपदा राहत के लिए सहायता" – ₹944.87 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य देशों से सहायता राहत के लिए कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(छा) "आईटीईसी कार्यक्रम" – ₹4006.76 लाख की बचत (₹22000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को जीएसटी की अदायगी से छूट दिए जाने के कारण निधियों की घटती आवश्यकता के कारण हुई।

(जा) "सार्क कार्यक्रम" – ₹645.35 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(झा) "एससीएएपी कार्यक्रम" – ₹200.28 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों के कम संख्या में होने के कारण हुईं।

(ञ) "मंगोलिया को सहायता" – ₹458.44 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजनाबद्ध परियोजनाओं की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(टा) "अफ्रीकी देशों को सहायता" – ₹15728.46 लाख की बचत (₹33000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ठा) "सेशेल्स को सहायता" – ₹7684.48 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत चालू परियोजनाओं की धीमी गति होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds based on implementation progress of ongoing projects.

(F) "Aid for Disaster Relief "- saving of ₹944.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of less demand for aid relief from other countries.

(G) "ITEC Programme" - saving of ₹4006.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22000.00 lakhs) was due to decreased requirement of funds owing to exemption of ITEC training programmes from payment of GST.

(H) "SAARC Programme" - saving of ₹645.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs); and

(I) "SCAAP Programme" - saving of ₹200.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to decreased number of activities and programmes.

(J) "Aid to Mongolia" - saving of ₹458.44 lakhs (against the sanctioned provision ₹500.00 lakhs) was due to slow progress of planned projects.

(K) "Aid to African Countries" - saving of ₹15728.46 lakhs (against the sanctioned provisions of ₹33000.00 lakhs); and

(L) "Aid to Seychelles" - saving of ₹7684.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow progress of ongoing projects.

3. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹39575.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष "2061" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "पासपोर्ट और उत्प्रवास" –

(क) "केंद्रीय पासपोर्ट संगठन" – ₹23145.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹18080.20 लाख था।

(ख) "केंद्रीय अधिनियमों तथा विनिमयों के संचालन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान" – ₹4600.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4599.72 लाख था।

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय" – ₹11830.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹11762.19 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – उत्प्रवास के प्रोटेक्टर जनरल" – ₹364.41 लाख का अधिक व्यय (₹1482.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई–माइग्रेट परियोजना पोर्टल के लिए तकनीकी उपकरणों की खरीद तथा पीओई कोचीन के रख–रखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2061" –

(क) "प्रशिक्षण – विदेशी सेवा प्रशिक्षण संस्थान" – ₹129.98 लाख का अधिक व्यय (₹1324.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय विदेश सेवा कर्मचारियों तथा विदेशी राजनयिकों के लिए अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुआ।

3.(I) The above savings were partly (₹39575.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2017 under Major Head "2061" - under the following heads:-

(A) "Passport and Emigration" -

(a) "Central Passport Organization" - ₹23145.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹18080.20 lakhs.

(b) "Payments to States/Union Territories for Administration of Central Acts and Regulations" - ₹4600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4599.72 lakhs.

(B) "International Co-operation - South Asian University" - ₹11830.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11762.19 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Protector General of Emigrant" - excess of ₹364.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1482.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of technical equipment for e-Migrate project portal and maintenance of POE Cochin.

(B) Major Head "2061" -

(a) "Training - Foreign Service Training Institute" - excess of ₹129.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1324.00 lakhs) was due to conduction of more training programmes for Indian Foreign Service officials and foreign diplomats.

(ख) "विशेष राजनयिक व्यय – विवेकाधीन व्यय" – ₹25921.08 लाख का अधिक व्यय (₹220000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यात्मक आवश्यकताओं, व्यय विवेकाधीन स्वरूप में होने के कारण हुआ।

(ग) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" –

(i) "अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन" – ₹927.76 लाख का अधिक व्यय (₹3408.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वचनबद्ध अंशदानों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "संयुक्त राष्ट्र संगठन" – ₹4946.92 लाख का अधिक व्यय (₹19000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र को अंशदान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घ) "अन्य व्यय" –

(i) "अन्य स्कीमें" – ₹250.65 लाख का अधिक व्यय (₹2385.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित तथा कानूनी उत्प्रवास पर चिकित्सा अभियान आयोजित करने, छात्रवृत्तियां देने तथा बकाया बिलों के निपटान के कारण हुआ।

(ii) "प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन" – ₹502.37 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीआईओ सांसद सम्मेलन के आयोजन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता तथा पिछले वर्ष के लंबित बिलों का भुगतान होने के कारण हुआ।

(b) "Special Diplomatic Expenditure - Discretionary Expenditure" - excess of ₹25921.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹220000.00 lakhs) was due to functional requirements, expenses being discretionary in nature.

(c) "International Co-operation"-

(i) "Other International Organisations"- excess of ₹927.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3408.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards committed contributions to international organisations.

(ii) "United Nations Organisation"- excess of ₹4946.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards India's contribution to United Nations.

(d) "Other Expenditure"-

(i) "Other Schemes" - excess of ₹250.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2385.00 lakhs) was due to organizing of medical campaign on Safe and Legal Migration for Overseas Employment, awarding of scholarships and settlement of outstanding bills.

(ii) "Celebration of Pravasi Bhartiya Divas" - excess of ₹502.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards holding of PIO Parliamentarian Conference and clearance of pending bills of previous year.

(गा) मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग" –

(क) "नेपाल को सहायता" – ₹161.19 लाख का अधिक व्यय (₹37500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर शेष दायित्वों का समाशोधन होने के कारण हुआ।

(ख) "मालदीव को सहायता" – ₹3424.49 लाख का अधिक व्यय (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुरक्षा, विधि और प्रवर्तन अध्ययन संस्थान तथा रक्षा मंत्रालय भवन का निर्माण किए जाने के कारण हुआ।

(ग) "अन्य विकासशील देशों को सहायता" – ₹732.21 लाख का अधिक व्यय (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीरिया तथा फिलीस्तीन को चिकित्सा और खाद्य आपूर्तियों तथा अन्य परियोजना संबंधी वचनबद्धताओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(घ) "बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम" – ₹1930.65 लाख का अधिक व्यय (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बकाया बिलों के भुगतान, आईबीएसए न्यास निधि तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए अंशदान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ङ) "यूरेशियाई देशों को सहायता" – ₹1202.03 लाख का अधिक व्यय (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जॉर्जिया में उत्कृष्टता के लिए भारत–जॉर्जिया केंद्र की स्थापना तथा यूक्रेन में दवाईयों की आपूर्ति के कारण हुआ।

(च) "अफगानिस्तान को सहायता" – ₹1595.69 लाख का अधिक व्यय (₹35000.00 लाख के स्वीकृत

(C) Major Head "3605" - "Co-operation with Other Countries" -

(a) "Aid to Nepal" - excess of ₹161.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37500.00 lakhs) was due to clearance of outstanding of liabilities based on progress achieved in the projects.

(b) "Aid to Maldives" - excess of ₹3424.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to construction of the Institute for Security, Law and Enforcement Studies (ISLES) and Ministry of Defence building.

(c) "Aid to Other Developing Countries"- excess of ₹732.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards medical and food supplies to Syria and Palestine and other project related commitments.

(d) "Multilateral Economic Relation Programme" - excess of ₹1930.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of outstanding bills of BRICS Summit, contribution towards IBSA Trust Fund and other events.

(e) "Aid to Eurasian Countries" - excess of ₹1202.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to establishment of India Georgia Centre for excellence in Georgia and supply of medicine to Ukraine.

(f) "Aid to Afghanistan" - excess of ₹1595.69 lakhs (against the sanctioned provision of

प्रावधान की तुलना में) अफगानिस्तान सरकार सहित कार्यान्वयन एजेंसियों को गेहूँ की आपूर्तियों के लिए बकाया बिलों के निपटान के कारण हुआ।

₹35000.00 lakhs) was due to settlement of outstanding bills for wheat supplies to implementation agencies including Government of Afghanistan.

(छ) "आसियान बहुपक्ष" – ₹469.53 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत–आसियान स्मारक तथा आसियान की 25वीं वर्षगांठ के आयोजन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(g) "ASEAN Multilateral" - excess of ₹469.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards India-ASEAN Commemorative and 25th anniversary celebration of India ASEAN.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹84959.00 लाख) कुल बचत ₹77983.77 लाख से अधिक हो गई।

4. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹84959.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹77983.77 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	22500.00			
पू.	S.	1.00	26001.00	32391.08	+6390.08
पु.	R.	3500.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	12500.00			
पू.	S.	1.00	24001.00	24586.15	+585.15
पु.	R.	11500.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7605"	Major head "7605"				
विदेशी सरकारों को अग्रिम	Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	180026.00	80067.00	80067.00	..
पु.	R.	-99959.00			

(I) ₹17000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "7605" – "मालदीव सरकार को कर्ज – नई जमा" – के अंतर्गत राजनीतिक घटना के कारण मूर्त रूप न दिए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹17000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "7605" - "Loans to Government of Maldives - New Credit" - due to non-materialisation owing to Political Development.

(II) मुख्य शीर्ष "7605" – "भूटान सरकार को कर्ज – भूटान में चालू जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज" के अंतर्गत ₹82959.00 लाख की बचत (₹163026.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निरंतर भू–वैज्ञानिक चुनौतियों के कारण चालू जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी गति के कारण हुई।

(II) Under Major Head "7605" - "Loans to Government of Bhutan - Loans for on-going Hydro Power Projects in Bhutan" - saving of ₹82959.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹163026.00 lakhs) was due to slowdown in implementation progress in on-going hydroelectric projects owing to continuing geological challenges.

5. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹15000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2017 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

5.(I) The above savings were partly (₹15000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs in December, 2017 - under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – विदेश मामले" – ₹3500.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹9890.08 लाख था।

(A) Major Head "4059" - "Other Buildings - Constructions - External Affairs" - ₹3500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9890.08 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – विदेश मामले" – ₹11500.00 लाख । वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹12085.15 लाख था।

(B) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing -External Affairs" - ₹11500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12085.15 lakhs.